

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरुण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:— 445/2025

श्री पंकज शेखावत, निवासी ग्राम दूदवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं पिन कोड 333031  
बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर, ) झुंझुनूं

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 30.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 445/2025 पर दिनांक 16.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025 /4630-631 दिनांक 16.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने अपने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय /सू०अ०/2025/1330 दिनांक 30.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री पंकज शेखावत, निवासी ग्राम दूदवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू०अ०/2025/334 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने अपने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय /सू०अ०/2025/1330 दिनांक 30.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री पंकज शेखावत, निवासी ग्राम दूदवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) न्याय/सू०अ०/2025/334 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा जा चुका है। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को नियमानुसार अन्तरित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( डॉ० अरुण गर्ग )

जिला कलक्टर झुंझुनूं